

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

दिनांक 12 जुलाई, 2019

पत्रांक: 3733^{LENT}/2019-45 निगम/2015 TC

प्रेषक,

धीरज साहू

आई.ए.एस.

प्रबन्ध निदेशक,

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

प्रेष्य,

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

विषय: सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत सरकारी चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को परिवहन निगम चालकों के स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण की कार्यवाही में सहयोग हेतु संसूचित करने के सम्बन्ध में।


महोदय,

आप अवगत हैं कि परिवहन निगम का मुख्य दायित्व यात्रियों को सुरक्षित परिवहन बस सेवा उपलब्ध कराना है। निगम बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षित गन्तव्य तक पहुंचाने में निगम चालक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। दिनांक 10-7-2019 को शासन की उच्च स्तरीय सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित बैठक सम्पन्न हुई जिसमें चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण पर विशेष बल देने की अपेक्षा की गई है। दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखकर सुरक्षित बस संचालन के लिये आवश्यक है कि चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूप से कराया जाय। जनपद सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में इस कार्य में आपकी महती भूमिका है।

अतः दिनांक 10-7-2019 को सम्पन्न शासन की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यह अपेक्षित है कि प्राथमिकता पर जनपद के किसी उपयुक्त सरकारी चिकित्सालय में समस्त चालकों (नियमित एवं संविदा) का संलग्न सूची अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु कैम्प की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। उक्त परीक्षण पर आने वाला व्ययभार निगम द्वारा वहन किया जाना है।

अस्तु अनुरोध है कि आप जनपद के उपयुक्त सरकारी चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को उपरोक्तानुसार कार्यवाही में सहयोग हेतु संसूचित करने का कष्ट करें।


संलग्नक:-यथोक्त।


(धीरज साहू)
प्रबन्ध निदेशक

समसंख्यक/समदिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन/प्राविधिक) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक/स0क्षे0प्र0(डिपो), उ.प्र.परिवहन निगम को इस निर्देश के साथ कि चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जिलाधिकारी से सम्पर्क कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराये।
5. गार्ड पत्रावली


(धीरज साहू)
प्रबन्ध निदेशक